

 इण्डियन ओवरसीज़ बैंक G20
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा साहेब, चेन्नै -600002
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक निम्नलिखित के लिए बोली लगाने हेतु आमंत्रित करता है :
गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल –
संपर्क रहित ईमवीरी चिप
कार्ड की आपूर्ति मुद्रण और वैयक्तिरण
बोली संख्या : जीईएम/ 2023/ बी/ 4265733 दिनांकित : 29.11.2023
उपयुक्त निविदा के लिए बोर्डपर दस्तावेज उपलब्धित वेबसाइटों पर
www.ioib.in एवं www.gem.gov.in उपलब्ध है, जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा का विवरण और भविष्य में किए जाने वाले किसी भी संशोधन के लिए, उक्त वेबसाइट (www.gem.gov.in) का संदर्भ लेंते रहें।

	ICAR-CENTRAL AVIAN RESEARCH INSTITUTE Izatnagar, Bareilly -243 122 (U.P.) (AN ISO 9001 FOOD CERTIFIED INSTITUTE)	
IN6C/CAKI/AKMU/webportal/186/AL-4/2	Date: 07.12.2023	
EXPRESSION OF INTEREST		
The Institute invites applications from experienced vendors for re-constructing its present website available at https://carl.icar.gov.in . The vendors will be required to make a presentation on 14.7.2023 at 11 a.m. regarding proposed structure/design of the website before the committee constituted for the purpose so that the structure/design may be finalized for subsequent invitation of bids.		
Administrative officer		

सावधानक शयरधारका क ध्यानध क लिए

 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड CIN : L25111 UP1972GOI003599
पंजीकृत कार्यालय: 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष: नंबर: 0522-3178490; वेबसाइट: www.scootersindialimited.com; ईमेल: csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारी: श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक ("प्रबंधक") द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") कर रहे हैं। (इसके बाद "अधिग्रहणकर्ता") के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित शर्तों से भेजा: (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बोएसई लिमिटेड ("बोएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज") से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एक्मात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिंगिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और भी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 ("छूट पत्र 1") पर संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 ("छूट पत्र 2") के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 ("छूट पत्र 3") और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है ("छूट पत्र") और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण) विनियम, 2021 ("डीलिंगिंग विनियम") ("डीलिंगिंग प्रस्ताव" या "डीलिंगिंग ऑफर") के प्रावधानों।

- डीलिंगिंग ऑफर की एकपृष्ठिका
 - अधिग्रहणकर्ता डीलिंगिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर ("ऑफर शेयर") हासिल करने के लिए यह डीलिंगिंग ऑफर दे रहा है।
 - भारत सरकार ("जीओआई"), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निष्पत्ती की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डीलिंगिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") श्री अमित श्रीवास्तव को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वीचैक डीलिंगिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।
 - तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मंजूरी के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिंगिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिंगिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;
 - अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिट करके का इरादा व्यक्त किया है।
 - उपरोक्त को देखते हुए और डीलिंगिंग विनियमों के विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा ("आइएफओ") की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिंगिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिंगिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिट करने का प्रस्ताव दिया गया।
 - आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होगी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिंगिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।
 - कंपनी ने डीलिंगिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीपर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।
 - छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियमन, 2011 ("अधिग्रहण विनियम") के विनियम 8 के साथ पढ़ें गए डीलिंगिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वीचैक डीलिंगिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।
 - कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अनिवार्य बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यों को रिकॉर्ड में लिया:
 - सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विधिगत छूट;
 - 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीपर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एवं एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और
 - डीलिंगिंग के विषय कारकों और पायटों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिंगिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिंगिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की कि:
 - कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करती है।
 - डीलिंगिंग डीलिंगिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और
 - सभी प्रस्तावित डीलिंगिंग विनियमों के शेयरधारकों के हित में है।
 - 1.10. कंपनी ने 05 जुल, 2023 को पोस्टल बलेट और ई वॉटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बलेट का नोटिस भेजा था।
 - 1.11. 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अनुसार, बीएसई ने डीलिंगिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिंगिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।
 - 1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।
 - 1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।
 - 1.14. ऑफर के बाद, डीलिंगिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।
 - 1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिंगिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सप्रेससिगर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आकाशवा	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एम्परी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरयाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगर	मराठी	महाराष्ट्र
बादमेर	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. बातें	तेलुगु	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
	हिन्दू	तमिलनाडु
केरल कोमडि	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

- प्रस्तावित डीलिंगिंग का औचित्य और उद्देश्य
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिंगिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:
 - भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय ("एमएचआई"), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है।
 - साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बोएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिंगिंग को मंजूरी दे दी।
 - इसके अलावा, कंपनी को एक चयन्य आई नई रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
 - एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।
 - इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87.27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अक्षित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग्स महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बोएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।
 - स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिंगिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिंगिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।
- सेबी छूट पत्र
अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैं:
 - सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिंगिंग के लिए विधिगत छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:
 - सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिंगिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विषय प्रावधान जिससे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैं:
 - 1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।
 - 1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यकता है कि प्रमोटर (ए) और प्रमोटर समूह की सभी प्रतियार शेयरधारता डीमेटररिलाइड रूप हैं और है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाया रखा जाता है।
 - 1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।
 - 1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108
 - 1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।
 - 1.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंडों में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिंगिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिंगिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक है।
 - 1.1.3. डीलिंगिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वीचैक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समरसमी को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।
 - 1.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से संबंधितक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:
 - 1.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और पारमर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दो जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (इ) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।
 - 1.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिंगिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।
 - 1.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मानदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य को खोजा जा सकता है और कंपनी की सहमति शामिल होगी।
 - 1.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेप सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिंगिंग की तरीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर दौलत करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।
 - 1.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकांश सुविष्ट हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:
 - 1.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उनमें अलखारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिंगिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिंगिंग के बाद दो साल की अवधि के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था।
 - 1.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और
 - 1.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्राप्ति रिपोर्टें दायित्व करें, जिससे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा:
 - तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और
 - तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।
 - कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न**
 - इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अक्षित मूल्य के 25,00,00,00,00 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अक्षित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।
 - इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पूर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रबंधक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255	100.00
सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	8,72,72,255	100.00	8,72,72,255	100.00

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्रीउट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिंगिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नाकद दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एवं एसोसिएट (पीपर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एकआप्टए 015090सी और मेसर्स ओम स्टोरींग एवं कंपनी (पीपर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एकआप्टए: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़ें गए डीलिंगिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वीचैक डीलिंगिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

निरंतर

 MUTHOOT FINCORP LTD. सोने की नीलामी सूचना
Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnem Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427
सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए एलटुंगर सूचना दी जाती है कि 31.12.2022 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prabakar. Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 31.03.2023 and MSGB, SME Suvama & EMI due up to 30.09.2023 तक की अवधि के लिए कंपनी की नीचे कथित शाखाओं में निर्यत रखे सोने के खजूने जिन्हें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार-बार सूचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाना नहीं गा है उसकी नीलामी 18.12.2023 को 10.00 बजे से शुरू कर दी जाएगी।
BILASPUR DISTRICT - BILASPUR: RAIPUR DISTRICT - RAIPUR: F283, F287, F295, F331, F332, F336, F341, F346, F444, F911.
नीलामी अपनी -अपनी शाखाओं पर आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी किसी कारणवश उसी दिन पूरी न हो पाईले नीलामी 30.12.2023 को सुबह 10.00 बजे RAIPUR DISTRICT: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Shop No 3 & 4, Part 41 Laiganga Midas Khasra, Fafadhi Rajiv Gandhi Ward No. 19, Raipur, Chhattisgarh - 492009. BILASPUR DISTRICT: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Nazool Sheet No 07, Plot 34/6, Nehru Chowk, Tiliak Nagar, Bilaspur, Chhattisgarh - 495001. पर आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे फोटो पहाचन + पत्र, PAN कार्ड प्रस्तुत करें। सफल निविदाकर्ताओं को पैसा RTGS द्वारा ट्रांसफर करना होगा।
मुद्रित फिनकोर्प लिमिटेड

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर काना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिंगिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर को न्यूनतम कीमत 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहरतर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़ें गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिंगिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्तावक के प्रबंधक के साथ पारमर्श के बाद 31.78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(इ) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्रीउट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. **वह अवधि जिसके लिए डीलिंगिंग ऑफर वैध होगा**

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तरीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिंगिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए विमोचर होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. **एस्को खते का विवरण और उमर में जमा राशि**

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रविष्टिक, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहरतर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बौहिस अठ्ठाईस पैसे मात्र) ("एस्को राशि")।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड ("एस्को बैंक") और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्कॉ समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्को समझौता खोला है। एस्को बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिंगिंग एस्को अकाउंट" के नाम से एस्को खाता, अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्को खाते में शामिल 100% प्रतिशत, कुल मिलकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बौहिस और अठ्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. **डिमेटररिलाइड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वीचैक डीलिंगिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रिया:**

8.1. डिमेटररिलाइड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिंगिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलिवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोड़िएम और/वाला एन) निर्माणीकृत दस्तावेज जमा करने होंगे। डिमेटररिलाइड- डीलिंगिंग ऑफर "अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डीलिंगिंग ऑफर पहुँच सके, स्कानेलाइन फाइनेशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पता: डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-1, नई दिल्ली - 110020, भारत, फ़ोन नंबर: 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन)।

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भपा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

सौरव के इस्पात कारखाने की जगह बदली जाएगी

कोलकाता, 7 दिसंबर (जनसत्ता)।

सौरव गांगुली के इस्पात कारखाने की जगह बदली जा सकती है। हालांकि उनका यह कारखाना पश्चिम

मेदिनीपुर जिले में होगा, लेकिन शालबनी की बजाय गड़बेता-3 नंबर ब्लाक के चंद्रकोना रोड पर हो सकता है। इस तरह पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी का कारखाना ज्वलद की जमीन के बदले प्रयाग फिल्मसिटी की जमीन पर

हो सकता है। म्हाल में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया है कि पश्चिम मेदिनीपुर के गड़बेता में राज्य सरकार एक रुपए मूल्य की करीब 350 एकड़ जमीन औद्योगिक निगम को लीज पर देगी।

जन्म शताब्दी वर्ष पर मृणाल सेन को दी गई श्रद्धांजलि

कोलकाता, 7 दिसंबर (भाषा)।

दिवंगत फिल्मकार मृणाल सेन के जन्म शताब्दी के अवसर पर 29वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में

उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान, सेन के द्वारा इस्तेमाल किए गए सामान फाउंटेन पेन (स्याही वाली कलम) और फिल्म के पोस्टर को केआइएफएफ में 'मृणाल सेन: द मेचरिक' प्रदर्शनी में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया।

 सावजनक शयरधारका क ध्यानाथ कालए
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
CIN : L25111 UP1972GOI003599
पंजीकृत कार्यालय: 3/481, प्रथम तल, विक्रत्य खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष: नंबर: 0522-3178490; वेबसाइट: www.scootersindialimited.com; ईमेल: csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारी: श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक ("प्रबंधक") द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") कर रहे हैं। (इसके बाद "अधिग्रहणकर्ता") के रूप में संदर्भित)। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सार्वजनिक शेयरधारकों को निर्मालिखित इरादे से भेजा: (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्चा से बीएसई लिमिटेड ("बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज") से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 ("छूट पत्र 1") पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 ("छूट पत्र 2") के साथ पहुंचे। पत्र क्रमांक SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 ("छूट पत्र 3") और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (" छूट पत्र") और लागू भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिलिस्टिंग) विनियम, 2021 ("डीलिलिस्टिंग विनियम") (" डीलिलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिलिस्टिंग ऑफर") के प्रावधान।

1. डीलिलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर ("ऑफर शेयर") हासिल करने के लिए यह डीलिलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार ("जीओआई"), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जना के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") श्री अमित श्रीवास्तव को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वीचैक डीलिलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेलेटिस्टिंग प्रस्ताव के लिए मॉडल बैक की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएसजी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्चा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने डेलेीस्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिलस्ट करने का इरादा व्यक्त किया गया।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा ("आईएसपी") को यह था। लागू कानून के अनुसार डीलिलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्चा से डीलिलस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईएसपी प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होगी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पयाल अधिग्रहण) विनियमन, 2011 ("अधिग्रहण विनियम") के विनियमन 8 के साथ पहुंच गए डीलिलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएसजी ने प्रस्तावित स्वीचैक डीलिलिस्टिंग के लिए फॉरले प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपने बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लिया:

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विधिगत छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और कारकों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्चा से डीलिलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की कि:

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दफिन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 ("लिलिस्टिंग विनियम"); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जुन, 2023 को पोस्टल वॉलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल वॉलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किए गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धा विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिलस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। रिस्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्चा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	भाषा	संस्करण
द फाइनेशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सप्रेससंसार	अंग्रेजी	जन्म और श्रीनगर
दैनिक आगनवा	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कन्नोटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एगपों और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बाटमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वाता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तमिल	तमिलनाडु
केरल कोमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कन्नोटक

2. प्रस्तावित डीलिलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

3.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय ("एएमएचआई"), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एएमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीलिलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एएमएचआई द्वारा दिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटेड की कंपनी को शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फ्लिपलट बहुत कम होता है, पिछले 12 महनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार है:

3.1. **सेबी ने छूट पत्र से SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 के साथ फंटेन ने प्रस्तावित डीलिलिस्टिंग के लिए विनियम बोर्ड प्रदान की। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. **भीबी** (फिलिटिंग दस्तावेज और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एसओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, 'डीलिलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिन्से सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एसओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एसओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह को सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमैटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एसओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19१ के साथ पड़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एसओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वीचैक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समस्यासीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों को अधिकृत मूल्य मानने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% का अधिकतम खरेद करने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिलस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संसार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिस्क बुक-बिलडिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिलस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिलस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुनिश्चित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अवधियों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिलिस्टिंग की पेशकशी को सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था।

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवृत्त संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा:

क) तिमाही की शुरूआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैर्यन

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पूर्व	बाद में
विवरण	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	8,19,24,029	93.87
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13
कुल योग (ए-बी)	8,72,72,255	100.00
		8,72,72,255
		100.00

#प्रस्तावित डिलिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एगिजट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मि-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मि-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर लिमि्टेडफिकेड नंबर 010929 और एफआरएए 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर लिमि्टेडफिकेड नंबर 011300 और एफआरएएए: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पहुंच गए डीलिलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 दिसंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएसजी ने प्रस्तावित स्वीचैक डीलिलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी 2023

निरंतर

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली रिस्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठ्ठतर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2) (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.5. इसके अलावा, डीलिलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोच्च हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31.78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2) (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एगिजट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता तथा सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुनिश्चित हैं और डीलिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिकूल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहतर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53.48,226 इक्विटी शेयर, INR है।16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निर्यान्वे लाख छियासठ हजार छह सी बार्डस अट्ठाईस पैसे मात्र) ("एस्क्रो राशि")।

7.2. डिलिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड ("एस्क्रो बैंक") और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिकूल, कुल मिलकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निर्यान्वे लाख छियासठ हजार छह सी बार्डस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वीचैक डीलिलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रिया:

8.1

 इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ICAR-CENTRAL AVIAN RESEARCH INSTITUTE Izatanagar, Barailly -243 122 (U.P.) (AN ISO 9001 FOOD CERTIFIED INSTITUTE)	
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा साहे, चेन्नै -600002 इण्डियन ओवरसीज़ बैंक निम्नलिखित के लिए बोली लगाने हेतु आमंत्रित करता है : गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल – संपर्क रहित ईएमबी चिप कार्ड की आपूर्ति मुद्रण और वैयक्तिकरण बोली संख्या : जीईएम/ 2023/ बी/ 4265733 दिनांकित : 29.11.2023 उपलब्ध निविदा के लिए जीईएम दस्तावेज उपलब्धित वेबसाइट पर www.ioib.in एवं www.gem.gov.in उपलब्ध है, जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा का विवरण और भविष्य में किए जाने वाले किसी भी संशोधन के लिए, उक्त वेबसाइट www.gem.gov.in का संदर्भ लेंते रहें।	
 ICAR-CENTRAL AVIAN RESEARCH INSTITUTE EXPRESSION OF INTEREST The Institute invites applications from experienced vendors for re-constructing its present website available at https://cari.icar.gov.in. The vendors will be required to make a presentation on 14.7.2023 at 11 a.m. regarding proposed structure/design of the website before the committee constituted for the purpose so that the structure/design may be finalized for subsequent invitation of bids. Administrative officer	 ICAR-CENTRAL AVIAN RESEARCH INSTITUTE EXPRESSION OF INTEREST The Institute invites applications from experienced vendors for re-constructing its present website available at https://cari.icar.gov.in. The vendors will be required to make a presentation on 14.7.2023 at 11 a.m. regarding proposed structure/design of the website before the committee constituted for the purpose so that the structure/design may be finalized for subsequent invitation of bids.

Administrative officer

सावधानक शयरधारका क ध्यानाथ क लिए

 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड CIN : L25111 UP1972GOI003599
पंजीकृत कार्यालय: 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष: नंबर: 0522-3178490; वेबसाइट: www.scootersindialimited.com; ईमेल: csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारी: श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक ("प्रबंधक") द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") कर रहे हैं। (इसके बाद "अधिग्रहणकर्ता") के रूप में संदर्भित।) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सार्वजनिक श्रेयधारकों को निर्माणित शर्त से भेजा: (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक श्रेयधारकों के पास हैं, और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड ("बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज") से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एक्मात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिंगिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिपुष्टि एवं विनियम बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 ("छूट पत्र 1") पर संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 ("छूट पत्र 2") के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 ("छूट पत्र 3") और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है ("छूट पत्र") और लागू भारतीय प्रतिपुष्टि और विनियम बोर्ड (इंडियन शेयरों की डीलिंगिंग) विनियम, 2021 ("डीलिंगिंग विनियम") ("डीलिंगिंग प्रस्ताव" या "डीलिंगिंग ऑफर") के प्रावधानों।

- डीलिंगिंग ऑफर की प्रमुखता**
 - अधिग्रहणकर्ता डीलिंगिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक श्रेयधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर ("ऑफर शेयर") हासिल करने के लिए यह डीलिंगिंग ऑफर दे रहा है।
 - भारत सरकार ("जीओआई"), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3 (1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी को योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने नियम की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिंगिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक श्रेयधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वीच्छक डीलिंगिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।
 - तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मरैट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविद जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिंगिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिंगिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की नियुक्त किया;
 - उपरोक्त की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक श्रेयधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिंगिंग करने का इरादा व्यक्त किया है।
 - उपरोक्त को देखते हुए और डीलिंगिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा ("आइएफओ") की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिंगिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिंगिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिट करने का प्रस्ताव दिया गया।
 - आईएफओ प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होगी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिंगिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।
 - कंपनी ने डीलिंगिंग विनियमों के विनियमन 1 0 (2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीएर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।
 - छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिपुष्टि और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 ("अधिग्रहण विनियम") के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिंगिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से प्रस्तावित स्वीच्छक डीलिंगिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।
 - कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अंतिम बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लिया:
 - सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विधिगत छूट;
 - 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीएर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और
 - डीलिंगिंग के विशिष्ट कार्यों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिंगिंग विनियमों के विनियमन 10 (4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिंगिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मालपत्र के माध्यम से कंपनी के श्रेयधारकों को मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के डीलिंगिंग शेयरों बोर्ड ने पुष्ट की कि:
 - कंपनी भारतीय प्रतिपुष्टि और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 ("लिंगिंग विनियम") के विनियम 17 (1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिपुष्टि कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।
 - सी) प्रस्तावित डीलिंगिंग विनियमों के विनियम 4 (5) के अनुपालन में होता है; और
 - बी) अधिग्रहण डीलिंगिंग कंपनी के श्रेयधारकों के हित में है।
 - कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बिलेट और ई वॉटिंग के माध्यम से कंपनी के श्रेयधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बिलेट का नोटिस भेजा था।
 - 11 जुी 2023 को डाक मालपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिंगिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिंगिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।
 - इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक श्रेयधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।
 13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक श्रेयधारकों से प्रमेांतर और प्रमेांतर समूह के अलावा कंपनी के सभी श्रेयधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेप 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन।
 - अधिक के बाद, डीलिंगिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।
 - यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिंगिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सप्रेस/सौर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आकाशवा	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगर	मराठी	महाराष्ट्र
बार्देम	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वाता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तमिल	तमिलनाडु
केरल कोमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

- प्रस्तावित डीलिंगिंग का औचित्य और उद्देश्य**

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिंगिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

 - भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय ("एमएचआई"), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3 (1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।
 - साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिंगिंग को मंजूरी दे दी।
 - इसके अलावा, कंपनी एक चूल्हा नहीं रखे हैं और उपरोक्त पत्र के अनुसार अधिग्रहण कदम उठाए गए हैं।
 - एमएचआई द्वारा लिए गए निगम की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।
 - इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87.27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमेोस्तर की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीने के दौरान मात्र 1.79% कारोबार हुआ है।
 - स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिंगिंग सार्वजनिक श्रेयधारकों को डीलिंगिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।
- सेबी छूट पत्र**

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैं:

- सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिंगिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:
 - सेबी (लिंगिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिंगिंग विनियमों के विनियम 12 (4) (डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विशिष्ट प्रावधान जिससे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैं:
 - 1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।
 - 1.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमेांतर (औ) और प्रमेांतर समूह को सी प्रतिरत श्रेयधारता डिमैटेरियलाइज्ड रूप हैं और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।
 - 1.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिपुष्टि अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19 (2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक श्रेयधारता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।
 - 1.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिपुष्टियों की लिंगिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108
 - 1.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।
 - 1.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिंगिंग विनियमों के विनियमन 35 (1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिंगिंग विनियमों के विनियम 35 (1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।
 - 1.1.3. डीलिंगिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वीच्छक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।
 - 1.1.4. सार्वजनिक श्रेयधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक श्रेयधारता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक श्रेयधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:
 - 1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और पारामर्श के बाद निक्सा मूल्य तय करेगा और कंपनी को सूचित करेगा कि वे जाने वाले निक्सा मानक टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।
 - 1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक श्रेयधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिट करने के लिए इरादे, निक्सा मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिंगिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।
 - 1.4.3. सार्वजनिक श्रेयधारकों को फिर गए संचार में लागू मानदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिक्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निक्सा मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।
 - 1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिट करने के बाद, प्रमेांतर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेप सार्वजनिक श्रेयधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिंगिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों को पहले स्वीकृत हुआ था व बनाया गया था।
 - 1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समयमय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेप सार्वजनिक श्रेयधारकों के अधिकार सुनिश्चित हैं और इसे और बढ़ाते हुए:
 - 1.4.5.1. एमएसआर आधार पर, उन्हीं अवसरों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिंगिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेप सार्वजनिक श्रेयधारकों को शेयरों की डीलिटिंग के बाद दो साल की निक्सा बिंडों के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .
 - 1.4.5.2. शेप सार्वजनिक श्रेयधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और
 - 1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दायित्व करें, जिससे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा:
 - क) तिमाही की शुद्धआत और अंत में शेप सार्वजनिक श्रेयधारकों की संख्या; और
 - ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक श्रेयधारकों का विवरण।
 - कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संचचना और श्रेयधारिता पैरन
 - इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।
 - इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर श्रेयधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पूर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255	100.00
कुल प्रमेांतर बिल्डिंग (ए)	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255	100.00
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	8,72,72,255	100.00	8,72,72,255	100.00

#प्रस्तावित डीलिंगिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

8, 72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

फ्लोर प्राइस और एगिउट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकमी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिंगिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नाक दो सहकमी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीएर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएए 015090सी और मेसर्स ओम रसलगेी एंड कंपनी (पीएर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएए: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिंगिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वीच्छक डीलिंगिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

निरंतर

 MUTHOOT FINCORP LTD. सोने की नीलामी सूचना
Regd. Office: Muthoot Center, TC No 27/3022, Punnem Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN : U65929KL1997PLC011518. Ph: +91 471 4911400, 2331427
सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए एलटुराद सूचना दी जाती है कि 31.12.2022 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 31.03.2023 and MSGB, SME Suvama & EMI due up to 30.09.2023 तक की अवधि के लिए कम्पनी की नीचे कलित शराकाओं में किसी रखे सोने के खुन जिन्हें छुड़ने का समय बीता चुका है तथा जिन्हें बार-बार सूचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़या नहीं गया है उनकी नीलामी 18.12.2023 को 10.00 बजे से शुरू कर दी जाएगी। BILASPUR DISTRICT - BILASPUR: F117. RAIPUR DISTRICT - RAIPUR: F283, F287, F299, F331, F332, F336, F341, F346, F444, F911.
नीलामी अपनी -अपनी शराकाओं पर आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यहाँ नीलामी किसी कारखाना उन्ही दिन पूरी न हो पायेगी नीलामी 30.12.2023 को सुबह 10.00 बजे RAIPUR DISTRICT: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Shop No 3 & 4, Part 41 Lalgaing Midas Kharsa, Fafadhi Rajiv Gandhi Ward No. 19, Raipur, Chattisgarh - 492009. BILASPUR DISTRICT: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Nazool Sheet No 07, Plot 34/6, Nehru Chowk, Tilak Nagar, Bilaspur, Chhattisgarh - 495001. पर आयोजित की जाएगी। निविदकर्ताओं से निवेदन है कि वे कोटो वायदान + पत्र, PAN नंबर प्रस्तुत करें। सफल निविदकर्ताओं को पैसा RTGS द्वारा ट्रांसफर करना होगा। मुद्रतु फिनकोर्प लिमिटेड

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिंगिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत र. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठ्ठतर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20 (2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिंगिंग विनियमों के विनियम 35 (2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक श्रेयधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निक्सा मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ पारामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8 (2) (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एगिउट प्राइस अधिस्थित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिंगिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक श्रेयधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों को पहले स्वीकृत की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेप श्रेयधारकों के अधिकार सुनिश्चित हैं और डीलिंगिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए विजमेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की गिराणी करेगा।

7. एक्को खाने का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिंगिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निक्सा मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठ्ठतर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ नित्यानेत्र लाख छियासठ हजार छह सौ बहईस अठ्ठाईस पैसे मात्र) ("एक्को राशि")।

7.2. डीलिंगिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एडिम्स बैंक लिमिटेड ("एक्को बैंक") और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एक्को समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एक्को समझौता खोला है। एक्को बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिंगिंग एक्को अकाउंट" के नाम से एक्को खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एक्को खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ नित्यानेत्र लाख छियासठ हजार छह सौ बहईस और अठ्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक श्रेयधारकों के लिए स्वीच्छक डीलिंगिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रिया:

8.1. डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक श्रेयधारक, जो डीलिंगिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे एक "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिंगिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डीलिंगिंग ऑफर पहुँच सके, स्कॉईलान्ड फाइनंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पता: डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फ्लेम-1, नई दिल्ली - 110020, भारत, फ़ोन नंबर: 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन) :

8.1.1 आवेदन पत्र,